... पाए 100 एवं
है कि दोनों प्रकरण में समान
... विवादक का होने से इन
... किए जावे हेतु उक्त प्रा.पत्र
... किया जावे। अधिवक्ता वादी द्वारा बताया
... वाद में कार्यवाही स्थगित नहीं की
जानी है बल्कि दोनों वादों को समेकित
(Consolidate) किया जाकर निर्णय किया
जाना चाहिये, अतः प्रतिवादी नं. ①②③ का
उक्त प्रा.पत्र निरस्त किया जावे। एवं अधिवक्ता
प्र. नं. ①②③ की ओर से प्रा.पत्र अन्तर्गत
धारा 10 CPC का पेश कर निवेदन किया
है कि इस मुकदमे व इस मुकदमे की
विषय वस्तु व पक्षकार एक ही है व अन्तर्वस्तु
मुख्य रूप से विवाद का है, प्रतिवादीगण का
वाद पहले का है जिससे पश्चात् वर्ती वाद
धारा 10 CPC के अन्तर्गत पश्चात्वर्ती वाद
पूर्ववर्ती वाद के निर्णय तक स्थगित किये जाने
योग्य होने से प्रार्थना-पत्र यह प्रार्थना पत्र
स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता वादी द्वारा
अपनी बहस में बताया की धारा-10 CPC के प्रावधान
लागु नहीं होते हैं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
की धारा 55 के प्रावधान लागु होंगे जिसके दोनों
दावों को एकीकरण (consolidate) करके निर्णित
करना होगा। बाद में दृष्टान्त 2004(1) RRT 620
विजयलाल बनाम गफूर मोहम्मद पेश किया। अतः
प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।
दोनों दावों में जवाब प्रस्तुत हो चुका
है एवं समान पक्षकार है विवादित आराजी दोनों
दावों में एक ही खाते की है जिससे न्यायालय
द्वारा का अभिमत है कि दोनों दावों को
एकीकरण (Consolidate) करके विचारण
करना न्यायोचित होगा। क्योंकि दावों
को Consolidate करने पर दोनों दावों का

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक क...
(एस.डी ओ.) ...